

प्ररूप-ग
(नियम 3(2) देखिये)
अनुज्ञा

प्रति,

जोहन पिता परस राम जाति गोंड
निवासी ग्राम हाथबाय
तहसील-गरियाबंद, जिला-गरियाबंद(छ0ग0)

विषय :- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

---000---

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 23.08.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण ज्ञापन (दिनांक) 23.08.2024 को जारी किया गया। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:- खसरा नम्बर 378/5 रकबा 0.73हे0 भूमि पर साल 01, सागौन 04 कुल 05 वृक्ष स्थित है, जिसमें सभी वृक्ष गीला अवस्था में खड़े हैं। परन्तु प्रारूप "ब" में काटे जाने योग्य वृक्ष 01 साल प्रजाति की अनुशंसा की गई है।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि खसरा नम्बर 378/5 ग्राम-हाथबाय, प.ह.नं. 22, तहसील-गरियाबंद स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति साल वृक्ष कमांक 01 एवं संख्या (क्रमशः) 01 है, को काटे जाने पर, संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा, आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

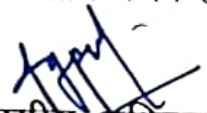
संलग्न:- प्रपत्र 'ब' की प्रतिलिपि।


अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
गरियाबंद

गरियाबंद दिनांक 18/07/2025

पृ.क्रमांक / / अ.अ. / वा-1 / 2025
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय गरियाबंद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल गरियाबंद को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार गरियाबंद को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।


अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
गरियाबंद